राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 199/2020

1. विणी पत्नी रामकुमार आयु 87 वर्ष
2. किशन लाल शर्मा पुत्र रामकुमार आयु 48 वर्ष

जाति ब्राह्मण निवासीगण वार्ड नं. 07, तातीजा तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 15–07–2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम तातीजा पटवार हल्का जसरापुर स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 76 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मनभावती पत्नी रामकुमार के स्थान पर विणी पत्नी रामकुमार तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम कृष्ण पुत्र रामकुमार के स्थान पर किशन लाल शर्मा पुत्र रामकुमार दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता सं. 76 ग्राम तातीजा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम तातीजा पटवार हल्का जसरापुर स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 76 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मनभावती पत्नी रामकुमार के स्थान पर विणी पत्नी रामकुमार तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम कृष्ण पुत्र रामकुमार के स्थान पर किशन लाल शर्मा पुत्र रामकुमार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम तातीजा पटवार हल्का जसरापुर स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 76 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मनभावती पत्नी रामकुमार के स्थान पर विणी पत्नी रामकुमार तथा प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

संख्या 2 का नाम कृष्ण पुत्र रामकुमार के स्थान पर किशन लाल शर्मा पुत्र रामकुमार दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15—07—2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी